रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2738] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 11, 2013/अग्रहायण 20, 1935
No. 2738] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 11, 2013/AGRAHAYANA 20, 1935

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2013

का.आ. 3612(अ).—केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक, सा.का.नि. 301, तारीख 27 फरवरी, 1971 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, मद (xix), उप-मद (घ) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(घ) डॉ. प्रोजिब कुमार चक्रबर्ती सहायक महानिदेशक (वनस्पति संरक्षण), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, कृषि भवन, नई दिल्ली ।	(इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए)।" ।

[फा. सं. 19-6/2008-पीपी-I (खण्ड-II)]

उत्पल कुमार सिंह, संयुक्त सचिव (वनस्पति संरक्षण)

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), संख्यांक सा.का.नि. 301, तारीख 27 फरवरी, 1971 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें संख्यांक का.आ. 621(अ), तारीख 12 मार्च, 2013 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया ।

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th December, 2013

S.O. 3612(E).—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation, number G.S.R. 301, dated the 27th February, 1971, namely:—

In the said notification, in item (xix), for the sub-item (d) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely:—

"(d) Dr. Pranjib Kumar Chakrabarty, Assistant Director General (Plant Protection), Indian Council of Agricultural Research, Krishi Bhawan, New Delhi.	(for a period of three years from the date of publication of this notification)".

[F. No. 19-6/2008-PP-I (Vol. II)]

UTPAL KUMAR SINGH, Jt. Secy. (Plant Protection)

Note :— The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 301, dated the 27th February, 1971 and last amended *vide* number S.O. 621(E), dated the 12th March, 2013.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2013

का.आ. 3613(अ).—केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 79(अ), तारीख 3 फरवरी, 1997 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्यांक 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"4. डॉ. प्रांजिब कुमार चक्रबर्ती, सहायक महानिदेशक (वनस्पति संरक्षण), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, कृषि भवन, नई दिल्ली।	सदस्य"।

[फा. सं. 19-6/2008-पीपी-I (खण्ड-II)]

उत्पल कुमार सिंह, संयुक्त सचिव (वनस्पति संरक्षण)

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), संख्यांक का.आ. 79(अ), तारीख 3 फरवरी, 1997 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें संख्यांक का.आ. 622(अ), तारीख 12 मार्च, 2013 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th December, 2013

S.O. 3613(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, number S.O. 79(E), dated the 3rd February, 1997, namely:—

In the said notification, for serial number 4 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:—

"4. Dr. Pranjib Kumar Chakrabarty, Assistant Director General (Plant Protection), Indian Council of Agricultural Research, Krishi Bhawan, New Delhi.	Member".

[F. No. 19-6/2008-PP-I (Vol. II)]

UTPAL KUMAR SINGH, Jt. Secy. (Plant Protection)

Note :— The principal notification was published in the Gazette of India, Extraodinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O.79 (E), dated the 3rd February, 1997 and last amended *vide* number S.O. 622(E), dated the 12th March, 2013.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 577] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 12, 2013/फाल्गुन 21, 1934

No. 577] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 12, 2013/PHALGUNA 21, 1934

IndiaCode

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2013

का.आ. 621(अ).—केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा. का. नि. 301 (अ) तारीख 27 फरवरी, 1971 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में मद (xvi) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(xvi) डा. शालिनी चावला, आचार्य, भेषजगुण विज्ञान विभाग, मौलाना आजाद मेडिकल कालेज, नई दिल्ली	(इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए)"।

[फा. सं. 19-6/2008-पीपी-I जिल्द II]

उत्पल कुमार सिंह, संयुक्त सचिव (पादप संरक्षण)

टिप्पण :—मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 301(अ) तारीख 27 फरवरी, 1971 द्वारा प्रकाशित की गई थी और निम्नलिखित द्वारा अंतिम संशोधन किया गया :—

(i) का.आ. 1244 (अ) तारीख 30 मई, 2012

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th March, 2013

S.O. 621(E).— In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation, number G.S.R. 301 (E), dated the 27th February, 1971, namely :—

In the said notification for item (xvi) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely:—

"(xvi) Dr. Shalini Chawla, Professor, Department of Pharmacology, Maulana Azad Medical College, New Delhi.	(For a period of three years from the date of publication of this notification)".

[F. No. 19-6/2008-PP-I Vol. II]

UTPAL KUMAR SINGH, Jt. Secy. (Plant Protection)

Note :— The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 301(E), dated the 27th February, 1971 and last amended by :—

(i) S.O. 1244(E), dated the 30th May, 2012

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2013

का.आ. 622(अ).—केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग की अधिसूचना संख्याक का. आ. 79 (अ) तारीख 3 फरवरी, 1997 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में क्रम सं. 6 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"6. डा. शालिनी चावला, आचार्य, भेषजगुण विज्ञान विभाग, मौलाना आजाद मेडिकल कालेज, नई दिल्ली	सदस्य"।

[फा. सं. 19-6/2008-पीपी-I जिल्द II]

उत्पल कुमार सिंह, संयुक्त सचिव (पादप संरक्षण)

टिप्पण :—मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में संख्यांक का. आ. 79 (अ) तारीख 3 फरवरी, 1997 द्वारा प्रकाशित की गई थी और निम्नलिखित द्वारा अंतिम संशोधन किया गया :—

(i) का.आ. 1245 (अ) तारीख 30 मई, 2012

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th March, 2013

S.O. 622(E).— In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, number S. O. 79 (E), dated the 3rd February, 1997, namely :—

In the said notification for serial number 6 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:—

"6 Dr. Shalini Chawla, Professor, Department of Pharmacology, Maulana Azad Medical College, New Delhi.	Member".

[F. No. 19-6/2008-PP-I Vol. II]

UTPAL KUMAR SINGH, Jt. Secy. (Plant Protection)

Note :— The principal notification was published in the Gazette of India Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 79(E), dated the 3rd February, 1997 and last amended by:—

(i) S.O. 1245(E), dated the 30th May, 2012

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.